राजस्व अपील संख्या 124/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– आदम खां पुत्र विलाल खां 2– भूरे खां पुत्र विलाल खां जातियान मुसलमान निवासी मेहताब का बेरा (धारवीकलां) तहसील शिव जिला बाडमेर		1– रहमान खां पुत्र रणधीर खां 2– अमरदीन खां पुत्र रणधीर खां 3– लादूखां पुत्र रणधीर खां 4– मु. मुलकी पत्नी रणधीर खां सभी जाति मुसलमान निवासी मेहताब का बेरा, तहसील शिव जिला बाडमेर 5– ईसे खां पुत्र विलाल खां 6– मेहराण खां पुत्र विलाल खां 7– पठाण खां पुत्र अदरीम खां 8– यारू खां पुत्र अदरीम खां 9– कमरूदीन पुत्र अदरीम खां 10–ईलमदीन खां पुत्र अदरीम खां जातियान मुसलमान निवासी मेहताब का बेरा, (धारवीकलां) तहसील शिव, जिला बाडमेर 11–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव जो राजस्व आवेदन पत्र संख्या 23/2019 अनवान हनीफ खां वगैरा बनाम आदम खां वगैरा मे दिनांक 28–6–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री रेखाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 10 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 19–4–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष ग्राम मेहताब का बेरा पटवारी मण्डल धारवीकलां तहसील शिव स्थित अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 394/85 रकबा 25.02 बीघा एवं खसरा नंबर 406/99 रकबा 104.05 बीघा कुल 129.07 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि प्रार्थीगण के खेत प्रत्यर्थी संख्या 6 से 10 के खेतो के सेडासेड आये हुए है तथा सेढो का सही ज्ञान नही हो रहा है तथा बरसात के मौसम मे विप्रार्थीगण सेढो को जबरदस्ती तोड देते है इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेत की पैमाईश हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो हल्का पटवारी ने मौके पर विवाद मानते हुए सीमाज्ञान रिपोर्ट के बिना पुलिस ईमदाद के साथ नेखमबंदी का आदेश लाने का कहने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी पुलिस ईमदाद के साथ करवाई जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अपीलांटगण की

सहायक आयुक्त

अनुपस्थिति मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–6–2019 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार शिव को कमिश्नर नियुक्त कर पुलिस ईमदाद के साथ नेखमबंदी किये जाने के आदेश पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील पेश की है ।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हए मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट तथा उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता को सुनवाई एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर दिये बिना तथा अपीलांटगण को सुने बिना मनमाना एवं एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच कराये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने अपने आवेदन मे खेत की माठ मौके पर नही दिखने का आधार बनाकर आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी मौके पर माठ होने अथवा नही होने के तथ्य की बिना जांच किये सीधा नेखमबंदी करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी को पत्थरगढी का आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर पक्षकारान को सीमाचिन्ह एवं सीमा का ज्ञान करवाया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर सीमाज्ञान निर्धारित करवाये बिना ही नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया, जो धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बंहस के दौरान यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.5 (21) राजस्व–4/80/36 दिनांक 4–9–1982 के कम मे कथन किया कि अविवादित मामलें मे पैमाईश व नेखमबंदी संबंधित ग्राम पंचायत को कराये जाने का अधिकार दिया गया है तथा पैमाईश प्रार्थनापत्र पेश होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को करवाये जाने का अधिकार दिया हुआ है तथा पैमाईश प्रार्थना पत्र पेश होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निस्तारण के लिए भेजा जाना आवश्यक है तथा ग्राम पंचायत उक्त प्रार्थना पत्र को 45 दिन मे निस्तारण करेगी जबकि वर्तमान मामले मे प्रार्थना पत्र, संबंधित ग्राम पंचायत को न भेजकर सीधा नेखमबंदी का आदेश दे दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पन्न कार्यवाही एवं उनके द्वारा बाद सुनवाई के पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध प्रत्यर्थीगण (वर्तमान अपीलांट) के तामिलसुदा नोटिसेज की ओर ध्यान दिलाया

जिसमे प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामिल हुए है तथा उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे अधिवक्ता भी उपस्थित हुए थे तथा उन्होने जवाब पेश करने हेतु समय चाहा जाने पर तीन अवसर जवाब पेश करने हेतु दिये इसके बावजुद जवाब प्रस्तुत नही करने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नही है कि उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हो ।

इसके अलावा वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे तथा वर्तमान अपीलांट की खातेदारी की भूमि के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी शिव के आदेश दिनांक 16–8–2019 की पालना मे दिनांक 20–8–2019 को पटवारी हल्का धारवीकला, निरिक्षक भू अ. निम्बला एवं सरपंच ग्राम पंचायत धारवीकलां एवं उपस्थित मौतबिरान के रूबरू मौका फर्द तैयार की गई । उक्त मौका फर्द मे भी वर्तमान अपीलांटगण आदमखां एवं भूरेखां के खातेदारी की भूमि पर बने टांका, ढाणी एवं मकानात आदि अन्य पडौसी खेत या कब्जे मे नही होना बताया अथार्त इनकी खातेदारी की भूमि किसी प्रकार से प्रभावित नही होती है तथा उक्त फर्द मौका अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2019 को पारित होने के बाद की है जिसमे सही वस्तुस्थिति प्रकट की हुई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं उसकी पालना मे अपीलांटगण किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है फिर भी उक्त अपील रेस्पो0गण को परेशान करने के लिए की गई है, जो खारीज योग्य है ।

अंत मे रेस्पो0 ने उक्त अपील को खारीज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2019 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबरान 394/85 रकबा 25.02 बीघा एवं खसरा नंबर 406/99 रकबा 104.05 बीघा कुल 129.07 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि प्रार्थीगण के खेत प्रत्यर्थी संख्या 6 से 10 के खेतो के सेडासेड आये हुए है तथा सेढो का सही ज्ञान नही हो रहा है तथा बरसात के मौसम मे विप्रार्थीगण सेढो को जबरदस्ती तोड देते है तथा जबरदस्ती काश्त कर लेते है जिससे विवाद उत्पन्न होता है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग व उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते है इसलिए उसके खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी करने बाबत निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति भी दी तथा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया गया परंतु तीन पेशियां जवाब पेश करने हेतु दिये जाने पर भी जवाब पेश नही किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय किया है इसलिए अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन सही

नही माना जा सकता कि उन्हे सुनवाई एवं जवाब पेश करने का अवसर नही दिया गया हो ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मे उल्लेखित उनके खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखमबंदी हेतु तहसीलदार शिव को कमिश्नर नियुक्त कर दोनो पक्षो की मौजुदगी मे नेखमबंदी करने का आदेश पारित किया इसलिए अपीलांटगण को तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी अवसर प्राप्त था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–28–6–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19–4–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर